



2026:AHC: 16622

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या- 41573/2025

संजीव सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: सैयद रियाज़ असकरी
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या-2

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

- 1- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री आर. पी. शुक्ला को सुना गया।
- 2- याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 2 को याचिकाकर्ता के दिनांक 04.12.2024 के आवेदन का अंतिम रूप से निर्णय करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ दायर किया है।
- 3- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
- 4- पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, इस रिट याचिका का निस्तारण प्रवेश चरण पर ही किया जा रहा है।
- 5- तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर इस आदेश की प्रमाणित प्रति और पिछले प्रत्यावेदन की छायाप्रति के साथ प्रत्यर्थी संख्या 2 - कलेक्टर/जिलाधिकारी, आजमगढ़ के समक्ष अपनी सभी शिकायतों को व्यक्त करते हुए, एक नया प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। यदि ऐसा प्रत्यावेदन दिया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 2 को आगामी दो माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6- उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है।

7- चूंकि रिट याचिका का निर्णय प्रत्यर्थियों से कोई जवाब मांगे बिना एकपक्षीय संस्करण पर किया गया है, अतः आज के आदेश पारित होने को इस अभिव्यक्ति के रूप में न समझा जाए कि इस न्यायालय ने वाद के गुण-दोष पर गौर किया है और द्वितीय प्रत्यर्थी विधि के अनुसार और इस विषय पर प्रचलित विधि के अनुसार कड़ाई से स्वतंत्र रूप से विचार करेंगे।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

22 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी